



1

103

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 / / निगरानी / पी.बी.आर. / 2017  
PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/6330

- 1- सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा
  - 2- गुरुभेज सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा
  - 3- त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा
- तीनों वयस्क एवं निवासीगण-34, सी0आर0पी0 लाइन,  
फाटक रोड, संत हिरदारामनगर, बैरागढ़, भोपाल

---निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- 1- श्रीमती अविनाश कौर पत्नि श्री सतवन्त सिंह  
पुत्री स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा, आयु वयस्क  
निवासी-34, सी0आर0पी0 लाइन फाटक रोड,  
संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ भोपाल
- 2- श्रीमती रंजीता छाबड़ा पत्नि श्री चरणसिंह छाबड़ा  
पुत्री स्व. जोगेन्दरसिंह सलूजा, आयु वयस्क  
निवासी-पंजाबी मोहल्ला, शुजालपुर मण्डी,  
जिला-शाजापुर

---रेस्पांडेंटगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता-1959

माननीय महोदय,



निगरानीकर्तागण न्यायालय अ0वि0अ0 वृत्त बैरागढ़ भोपाल के प्र0क्र0 15/अपील/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.05.2017 (जो कि न्यायालय तहसीलदार वृत्त बैरागढ़ भोपाल के प्र0क्र0 75/अ-6/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2007 एवं न्यायालय अपर कमिश्नर भोपाल के प्र0क्र0 147/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय में निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/6330

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-8-2018	<p>आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक पक्ष की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से पूर्व में श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक उपस्थित हो रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि आवेदकगण की ओर से प्रकरण में पैरवी करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं हैं। आवेदकगण को तीन बार आवाज लगाई गई, फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आवेदकगण की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> नीउर</p>	<p> अध्यक्ष</p>